न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

प्रकरण क्रमांक 05/धारा–40/2017–18 दिनांक 08.11.2017

म.प्र. शासन (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर)

विरुध्द

श्रीमती ज्योति दीपक
सरपंच
ग्राम पंचायत दापोरा,

(पारित आदेश दिनांक 21.12.2017)

श्री सुधाकर पिता शंकर महाजन ग्राम पंचायत दापोरा द्वारा मकान के सामने पंचायत द्वारा निर्मित मूत्रालय को अन्यत्र स्थान पर स्थापित करने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) बुरहानपुर द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर एवं सरपंच/सचिव को उक्त मूत्रालय अन्य स्थान पर स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है। निर्देशित किये जाने के बाद भी पंचायत द्वारा मूत्रालय अन्य स्थान पर स्थापित न करने से कलेक्टर महोदय के पत्र कमांक/7360/रीडर कले./2017 दि. 30.10.2017 द्वारा सरपंच के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत प्रकरण दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया। सरपंच ग्राम पंचायत दापोरा के विरूद्ध धारा 40 के तहत प्रकरण कमांक 5 पर दिनांक 08.11.2017 को दर्ज किया गया।

प्रकरण के संबंध में सुनवाई दिनांक 15.11.2017 को की गई। सुनवाई के समय श्रीमती ज्योति दीपक सरपंच ग्राम पंचायत दापोरा द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि प्राथमिक शाला के पास मूत्रालय 60 साल पूराना बना हुआ है जिसका ग्रामवासी उपयोग करते है।
ग्राम पंचायत दापोरा की बैठक दिनांक 04.10.2017 के प्रस्ताव कमांक 1 एवं 4 द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया कि मूत्रालय यथावत रहने दिया जावे। उक्त मूत्रालय को पंचायत द्वारा दूरूस्त कराया जावे। मूत्रालय अन्यत्र स्थापित करने हेतु जगह उपलब्ध नही है, तथा ग्रामवासी भी उक्त मूत्रालय को हटाने जाने के संबंध में विरोध करते है। शिकायतकर्ता के घर की निकासी अन्य मार्ग से है। मूत्रालय शिकायतकर्ता के घर से दूर है।

प्राप्त प्रतिवेदन परीक्षण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर को दिया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर का पत्र कमांक/ 3134/ज.पं./स्था./2017 दिनांक 18.12.2017 द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन में अवगत कराया गया कि दिनांक 11.10.2017 को ग्राम पंचायत दापोरा का स्थल निरीक्षण कर पाया गया कि मूत्रालय शासकीय भूमि पर है एवं ग्रामीणों के उपयोग के लिये एकमात्र सार्वजनिक मूत्रालय है, एवं आवेदक के मकान के बीच लगभग 20 से 30 फिट की सीमेंट कांकिट की गली है जो गली पंचायत की है। जिस पर आवेदक ने दोनो सरकारी भवन की दीवार से गेट लगाया हुआ है। उक्त मूत्रालय सार्वजनिक होकर ग्रामीणों के उपयोग में है जिसे यथावथ रखा जाना आवश्यक है। उक्त मूत्रालय को तोडा जाना उचित नही है, सरपंच के विरूद्ध प्रचलित प्रकरण निराकृत करने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः सरपंच ग्राम पंचायत दापोरा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में मूत्रालय शासकीय भूमि पर निर्मित होना अंकित किया गया है तथा निर्मित मूत्रालय से आवेदक का मकान 20 से 30 फीट दूर होने से आवेदक का उक्त मूत्रालय से कोई संबंध न होने से प्रकरण निराकरण कर समाप्त किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उद्घोषित किया गया।

विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर
21/12

6323
21.12.2017

प्रतिलिपि,

1. कलेक्टर, जिला बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित्।
2. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ।
4. सरपंच ग्राम पंचायत दापोरा की ओर सूचनार्थ।

विहित प्राधिकारी
एवं
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर
21/12